मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 को पुरःस्थापित.

**मध्यप्रदेश विधेयक**

क्रमांक १५ सन् २०१५

# मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१५

**विषय-सूची**

**खण्ड :**


१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा ५० का संशोधन.

३. धारा १५८ का संशोधन.

४. धारा १६२ का संशोधन.

५. धारा १६५ का संशोधन.

६. धारा १६६ का संशोधन.

७. धारा १७२ का संशोधन.

८. धारा २४७ का संशोधन.

९. निरसन तथा व्यावृत्ति.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१५

# मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१५

**मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५० में,— **धारा ५० का संशोधन.**

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) मण्डल, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से, किसी ऐसे मामले का, जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके या उनके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो और जिसमें उनको कोई अपील न होती हो, अभिलेख मंगा सकेगा और यदि यह प्रतीत होता हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व अधिकारी,—

(क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या

(ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या

(ग) ने अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किया है,

तो, यथास्थिति, मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, इस धारा के अधीन, किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि—

(क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाहियों का अन्तिम रूप से निपटारा करता हो, या

(ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त बना रहता है, तो न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया गया था, अपूरणीय क्षति कारित करेगा.";

(दो) उपधारा (२) तथा (३) में, शब्द "या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी" स्थापित किए जाएं; तथा

(तीन) उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(६) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(एक) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हों, वहां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(दो) जहां उपधारा (१) के अधीन, किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त द्वारा प्रारम्भ की गई हों, वहां कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(तीन) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों तो मण्डल, यथास्थिति, आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत् रह सकेगा या ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे;

(चार) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई हों तो मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त, यथास्थिति, कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक, ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा अथवा ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.''.

**धारा १५८ का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की धारा १५८ में, उपधारा (३) में,—

(एक) विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु कोई ऐसा व्यक्ति पट्टे अथवा आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा और 'अहस्तांतरणीय भूमि' के रूप में इस आशय की प्रविष्टि अधिकार अभिलेख तथा भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका में की जाएगी.'';

(दो) इस प्रकार स्थापित परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'अहस्तांतरणीय भूमि' से अभिप्रेत है धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों में धारित भूमि.''.

**धारा १६२ का संशोधन.**

४. मूल अधिनियम की धारा १६२ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) धारा २४८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्रों में, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, राज्य सरकार की किसी भूमि का जो कि अनधिकृत कब्जे में हो, कलक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर जैसी कि विहित की जाए, कृषिक प्रयोजनों के लिए भूमिस्वामी अधिकारों में और अकृषिक प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जा सकेगा.''.

५. मूल अधिनियम की धारा १६५ में,— धारा १६५ का संशोधन.

उपधारा (७-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''(७-ख) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई व्यक्ति, जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों में भूमि धारण करता हो, आवंटन की तारीख से दस वर्ष के पश्चात्, ऐसी भूमि को अंतरित करने की वांछा करता है, तो उपखण्ड अधिकारी को अधिकार अभिलेख तथा भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका में ''अहस्तांतरणीय'' के रूप में अभिलिखित प्रविष्टि को हटाने के लिए आवेदन कर सकेगा और उपखण्ड अधिकारी, आवेदक को ऐसी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान सरकारी कोषालय में करने का निदेश देगा और ऐसा भुगतान कर दिए जाने के पश्चात्, उपखण्ड अधिकारी ऐसी प्रविष्टि को हटाने के लिए आदेश पारित करेगा.

(७-ग) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यदि किसी व्यक्ति द्वारा, जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों में भूमि धारण करता है, आवंटन की तारीख से दस वर्ष के पश्चात् ऐसी भूमि कलक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित कर दी गई है और ऐसी भूमि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारंभ होने की तारीख तक समपहृत नहीं की गई है, या समपहृत की गई है किन्तु उपयोग नहीं की गई है या किसी को आवंटित भी नहीं की गई है तो ऐसी भूमि, शासकीय कोषालय को भुगतान किए जाने की तारीख तक—

(क) यदि भूमि का ऐसा अंतरण वर्ष २०००-२००१ या उसके पूर्व का है तो वित्तीय वर्ष २०००-२००१ के बाजार मूल्य की दस प्रतिशत के समतुल्य राशि और ऐसी राशि पर १ अप्रैल, २००० से नौ प्रतिशत साधारण ब्याज; अथवा

(ख) यदि भूमि का ऐसा अंतरण वर्ष २०००-२००१ के पश्चात् किया गया है तो अंतरण की तारीख को ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के समतुल्य राशि और ऐसी राशि पर ऐसे अंतरण की तारीख से नौ प्रतिशत साधारण ब्याज के, भुगतान के दायित्वाधीन होगी.

**स्पष्टीकरण.**—यदि धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन किसी भूमिस्वामी की कोई भूमि अंतरित की जाती है और जिस पर उपधारा (७-ख) और (७-ग) के अधीन अपेक्षित भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी भूमि किसी पश्चात्वर्ती अंतरण के लिए ऐसा भुगतान पुनः करने के दायित्वाधीन नहीं होगी.''.

६. मूल अधिनियम की धारा १६६ में, उपधारा (३) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक ''तथा (२)'' का लोप किया जाए. धारा १६६ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १७२ में,— धारा १७२ का संशोधन.

(एक) उपधारा (४) में, शब्द ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत से अनधिक'' के स्थान पर ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (५) में, शब्द ''ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत से अनधिक'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी अव्यपवर्तित भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक'' स्थापित किए जाएं.

**धारा २४७ का संशोधन.** ८. मूल अधिनियम की धारा २४७ में, उपधारा (४) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का १)'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का ३०)'' स्थापित किए जाएं.

**निरसन तथा व्यावृत्ति.** ९. (१) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ५ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में कतिपय संशोधन प्रस्तावित थे, जो निम्नानुसार हैं :—

(१) यह अनुभव किया गया है कि आयुक्त और बन्दोबस्त आयुक्त को पुनरीक्षण की शक्ति दी जाए जिससे कि वे किसी ऐसे मामले का, जिसका कि विनिश्चय हो चुका है या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिससे उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है अभिलेख मंगा सकें. अतएव, यह प्रस्तावित है कि संहिता की धारा ५० को संशोधित किया जाए.

(२) संहिता की धारा १५८ की उपधारा (३) और धारा १६५ की उपधारा (७-ख) के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए, धारा १५८ की उपधारा (३) के परन्तुक में संशोधन प्रस्तावित है. यदि कोई व्यक्ति, जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों के साथ भूमि धारण करता है, अपने अधिकारों को अंतरित करता है, तो अंतरिती सरकार को भी कुछ राशि के भुगतान का दायी होगा, क्योंकि ऐसी भूमि प्रीमियम के रूप में कोई राशि प्रभारित किए बिना आवंटित की गई थी और राज्य सरकार को इन संव्यवहारों के बदले में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है. धारा १५८ की उपधारा (३) के परंतुक के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में और स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टीकरण के साथ धारा १६५ में संशोधन प्रस्तावित है.

(३) धारा १६२ के उपबंधों के विस्तार को, जो कृषिक प्रयोजन या आवासीय प्रयोजन तक सीमित है, यथोचित संशोधन द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है. अतएव धारा १६२ का संशोधन प्रस्तावित है.

(४) यह भी अनुभव किया गया है कि जुर्माने के अधिरोपण से संबंधित संहिता की धारा १७२ की उपधारा (४) और उपधारा (५) के उपबंध अवपीड़क और अनुकरणीय प्रतीत होते हैं. जिससे कि इन उपबंधों के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के उपबंधों को सीमित किया जा सके. जुर्माने के युक्तियुक्त अधिरोपण के लिए धारा १७२ में संशोधन प्रस्तावित है.

(५) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का १) को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का ३०) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाने के कारण धारा २४७ में संशोधन प्रस्तावित है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश की विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अत: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता द्वितीय (संशोधन) अध्यादेश २०१५ (क्रमांक ५ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर बिना किसी उपान्तरण के राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २ दिसम्बर, २०१५.

**रामपाल सिंह**
भारसाधक सदस्य.

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के निम्नांकित खण्डों द्वारा—

**खण्ड २** (एक)(१)(ग)—राजस्व अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किए जाने की स्थिति में मामले पर मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने;

(तीन)(६)(तीन)—राजस्व अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किए जाने की स्थिति में मामले पर जहां कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा की गई हों तो मण्डल यथास्थिति ऐसी कार्यवाहियों को विरत रखने अथवा वापस लेने;

(चार)—राजस्व अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किए जाने की स्थिति में मामले पर जहां कार्यवाहियां कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा की गई हों तो मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त यथास्थिति ऐसी कार्यवाहियों को विरत रखने अथवा वापस लेने; तथा

**खण्ड ४** (१) राज्य सरकार की किसी भूमि का जो कि अनधिकृत कब्जे में हो, के व्ययन की रीति तथा प्रीमियम और पट्टे के भाटक की राशि सुनिश्चित किये जाने;

संबंधी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरुप की होंगी.

## अध्यादेश के संबंध में विवरण

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ की कतिपय धाराओं यथा धारा ५०, १५८, १६२, १६५, १७२ एवं २४७ में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था. चूंकि विधान सभा का सत्र चालू नहीं था और विधेयक के प्रस्तावित प्रावधानों को आवश्यक रूप से लागू किया जाना था.

अत: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ५०, १५८, १६२, १६५, १७२ एवं २४७ में संशोधन के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक २१ अगस्त, २०१५ को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ५ सन् २०१५) प्रख्यापित किया गया.

**भगवानदेव ईसरानी**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

# उपाबंध

## मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता अधिनियम, १९५९ ( क्रमांक २० सन् १९५९ ) से उद्धरण.

धारा १-४९ * * * *

५०. (१) मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से किसी ऐसे मामले का जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किसी ऐसी कार्यवाही का जिसमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो और जिसमें कोई अपील न होती हो, और यदि यह प्रतीत होता हो कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी—

(क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या

(ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या

(ग) ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता की है, तो मण्डल या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि—

(क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाही का अंतिम रूप में निपटारा करता हो, या

(ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त रहता है, न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया गया था, अपूरणीय क्षति कारित करेगा.

(२) मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी इस धारा के अधीन, किसी ऐसे आदेश में, जिसके विरुद्ध या तो मण्डल को या उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को अपील होती हो, कोई फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा.

(३) राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी पुनरीक्षण का प्रभाव कार्यवाही को स्थगित करने वाला नहीं होगा, सिवाय जहां कि ऐसी कार्यवाही यथास्थिति मण्डल या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो.

(४) * * * *

(५) किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकार पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

(६) उपधारा (१) में, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(एक) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल का प्रारम्भ की गई हों, वहां उसके संबंध में कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा कोई कारवाई नहीं की जाएगी;

(दो) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई हों, वहां इस धारा के अधीन ऐसे मामले के संबंध में मण्डल, यथास्थिति, कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा मामले के अंतिम निपटारे तक या तो विरत रहेगा या ऐसी कार्यवाहियां वापस ले सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएंगे.

* * * *

**धारा १५८ (१) से (२)** * * * *

(३) प्रत्येक व्यक्ति—

(एक) जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९९२ के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व मंजूर किये गये किसी पट्टे के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण किये हुये है, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से, और

(दो) जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन भूमिस्वामी अधिकारी में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९९२ के प्रारम्भ के पश्चात् किया गया है, ऐसे आवंटन की तारीख से,

ऐसी भूमि के संबंध में भूमि स्वामी समझा जायेगा और उन समस्त अधिकारों दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये है:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से १० वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अन्तरित नहीं करेगा.

* * * * * *

१६२. **अनाधिकृत कब्जे में की कतिपय भूमियों का व्ययन.**—(१) धारा २४८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्रों में की, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, राज्य सरकार की ऐसी भूमि जो कि अनाधिकृत कब्जे में हो, कलक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा प्रीमियम और पट्टे के भाटक की ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर, जैसी कि विहित की जाए, कृषि और आवासीय प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जाएगा.

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि का व्ययन कर दिया जाता है तो ऐसी भूमि के संबंध में धारा २४८ के अधीन किसी राजस्व न्यायालय में लंबित समस्त कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी.

* * * * * *

१६५. (७-क) उपधारा (१) में अंनर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९६८ (क्रमांक २८ सन् १९६८) की धारा ३३ में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी, भू-स्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उक्त धारा में विनिदिष्ट की गई अपनी भूमि में के किसी भी हित का कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अन्तरण कर दें.

(७-ख) उपधारा (१) में अंनर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन भूमि स्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात् ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना नहीं करेगा.

(८) इस धारा में की कोई बात किसी भूमिस्वामी, को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे भूमि विकास उधार अधिनियम, १८८३ (१८८३ का संख्यांक १९) या कृषक उधार अधिनियम, १८८४ (१८८४ का संख्यांक १२) के अधीन दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूति करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतकरण करने से नहीं रोकेगी या राज्य सरकार के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है.

(९) **इस धारा में की कोई भी बात—**

(एक) किसी भूमिस्वामी की, किसी ऐसी अग्रिम के जो उसे किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दिया गया हो, संदाय को प्रतिभूमि करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार को बंधक के रूप में अंतरित करने से निवारित नहीं करेगी. किन्तु इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वसूली सुनिश्चित करने के लिए भूमि का विक्रय धारा १५४-क में विहित प्रक्रिया को नि:शेष किये बिना नहीं किया जायेगा; या

(दो) किसी भूमि-स्वामी को दिये गये अग्रिम की वसूली धारा १५४-क के उपबंधों के अनुसार सुनिश्चित करने के ऐसी किसी सोसाइटी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी.

(९-क) इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसे भूमिस्वामी को, जो विस्थापित व्यक्ति हो, किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूमि करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या उस प्राधिकारी के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है.

**स्पष्टीकरण.**—इस उपधारा में "विस्थापित व्यक्ति" से अभिप्रेत है उन राज्य क्षेत्रों से, जो अब पूर्वी पाकिस्तान में समाविष्ट है, विस्थापित हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी किसी स्कीम के अधीन १ अप्रैल सन् १९५७ को या उसके पश्चात् मध्यप्रदेश में पुनर्वासित किया गया है.

(९-ख) इस धारा की कोई भी बात भूमिस्वामी को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे कृषि के प्रयोजन के लिये या खाते के सुधार के प्रयोजन के लिये, किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया गया हो भुगतान को प्रतिभूति करने के हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या किसी ऐसे बैंक के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली के हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है.

(१०) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का संख्यांक १६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, जो उस अधिनियम के अधीन दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने के लिए सशक्त हो, किसी भी ऐसी दस्तावेज को, जो इस धारा के उपबंधों करने के लिये तातपर्यित है, रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण नहीं करेगा.

(११) **इस धारा में की कोई भी बात—**

(क) किसी ऐसे अन्तरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व विधिमान्यत: किया गया था, अविधिमान्य नहीं बनायेगी, या

(ख) किसी ऐसे अन्तरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व विधिमान्यत: किया गया था, विधिमानय नहीं बनायेगी.

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, एक एकड़ सिंचित भूमि को दो एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जाएगा और इसी प्रकार इसका विपर्यय.

*  *  *  *  *  *

१६६. **कतिपय अंतरणों के मामले में समपहरण.**—(१) यदि भूमि का अंतरण धारा १६५ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के उपबंधों के उल्लंघन में किया जाता है, तो अंतरिती के पास की उतनी भूमि जो विहित की उच्चतम सीमा के ऊपर हो, अंतरिती द्वारा विहित कालावधि के भीतर चयन कर ली जाने पर और उपखण्ड अधिकारी द्वारा उसका सीमांकन ऐसे नियमों के, जो उस संबंध में बनाये जाये; अनुसार कर दिया जाने के पश्चात् राज्य सरकार समपहृत हो जायेगी :

परन्तु यदि अंतरिती विहित कालावधि के भीतर चयन नहीं करता है तो ऐसा चयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा.

(२) × × × ]

(३) उपखण्ड अधिकारी, उपधारा (१) तथा (२) में, निर्दिष्ट किए गये मामलों में, अंतरिती के पास बच रही भूमि के संबंध में भू-राजस्व, विहित रीति में नियत करेगा.

* * * * * *

१७२. भूमि का व्यपवर्तन ( **Diversion of Land** )—(1) यदि—

(एक) नगरीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से पांच मील की त्रिज्या के भीतर; या

(दो) किसी ऐसे ग्राम में, जिसकी जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार दो हजार या उससे अधिक हो; या

(तीन) ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें,

किसी प्रयोजन के लिये धारित भूमि का भूमिस्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है तो वह इस बाबत् अनुज्ञा दी जाने के लिये उपखण्ड अधिकारी को आवेदन करेगा, जो इस धारा के तथा इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा या अनुज्ञा ऐसी शर्तों पर दे सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे :

परंतु यदि उपखण्ड अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास तक;

उसके संबंध में अनुज्ञा या इंकारी का आदेश करने तथा उसे आवेदक का परिदत्त करने में उपेक्षा या चूक करता है और आवेदक ने उस चूक या उपेक्षा की ओर उपखण्ड अधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकृष्ट कर दिया हो तथा ऐसी चूक या उपेक्षा एक मास की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जाएगा कि उपखण्ड अधिकारी ने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी है :

परन्तु यह और कि यदि किसी ऐसी भूमि का, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई है किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिये किया जाता है भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित करना चाहता है जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखंड अधिकारी को दी गई जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है:

परंतु यह भी कि यदि किसी ऐसी भूमि का जो कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है, भूमिस्वामी अपनी भूमि या उसके किसी भाग को उद्योग के प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है और ऐसी भूमि विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित हो, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखण्ड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिये कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है.

परंतु यह भी कि यदि सक्षम प्राधिकारी किसी अवैध कालोनी, जिसकी भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है, के नियमितीकरण के कार्य का जिम्मा लेता है तो ऐसी भूमि विकास योजना के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए व्यपवर्तित हो गई समझी जाएगी और ऐसी भूमि धारा ५९ के अधीन प्रीमियम तथा पुनरीक्षित भू-राजस्व के लिए दायी होगी.

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी का वही अर्थ होगा जो उसके लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंध तथा शर्तें) नियम, १९९८ में दिया गया है.

(२) व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा देने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा केवल इस आधारों पर इंकार किया जा सकेगा कि उस व्यपवर्तत से लोक न्यूनसेन्स होना संभाव्य है, या यह कि भूमिस्वामी उन शर्तों का, जो कि उपधारा (३) के अधीन अधिरोपित की जाय, अनुपालन करने में असमर्थ है या अनुपालन करने के लिये राजी नहीं है.

(३) व्यपवर्तन के संबंध में शर्तें निम्नलिखित उद्देश्यों, अर्थात् सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा सुनिश्चित करने के लिये ही अधिरोपित की जा सकेंगी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं और उस भूमि की दशा में जिसका कि उपयोग निर्माण स्थलों के रूप में किया जाता है, उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित की जा सकेंगी कि स्थलों की बिना, उनका विन्यास तथा उन तक पहुंच दखलकारों के स्वास्थ्य तथा सुविधा की दृष्टि से पर्याप्त है या संबंधित बस्ती के लिये उपयुक्त है.

(४) यदि कोई भूमि, भूमिस्वामी द्वारा बिना अनुज्ञा के या किसी अन्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमिस्वामी की सम्मति से या उसकी सम्मति के बिना व्यपवर्तित कर दी गई हो तो उपखण्ड अधिकारी, उसकी जानकारी प्राप्त होने पर, उस व्यक्ति पर, जो व्यपवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक न हो, और उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही कर सकेगा मानो व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन कर दिया गया हो.

(५) यदि कोई भूमि-पूर्वगामी उपधाराओं में से किसी उपधारा के अधीन पारित किये गये किसी आदेश या अधिरोपित की गई किसी शर्त के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है तो उपखण्ड अधिकारी उस व्यक्ति पर, जो ऐसे उल्लंघन के लिये जिम्मेदार है, सूचना तामील कर सकेगा जिसमें उसे यह निर्देश दिया जाएगा कि वह उस सूचना में कथित युक्तियुक्त कालावधि के भीतर उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये या शर्तों का अनुपालन करें और ऐसी सूचना में ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किसी संसचना को हटा ले, किसी उतखात को भर दे या ऐसे अन्य उपाय करे जो इस दृष्टि से अपेक्षित हों कि उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जा सके या यह कि शर्त को पूरा किया जा सके. उपखण्ड अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर ऐसे उल्लंघन के लिये उपयोग में लाया जा सके या यह कि शर्त को पूरा किया जा सके. उपखण्ड अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर ऐसे उल्लंघन के लिये ऐसी शास्ति, जो ऐसी व्यपवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी तथा ऐसी अतिरिक्त शास्ति भी, जो प्रत्येक धारा ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे, एक हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगा.

(६) यदि कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (५) के अधीन सूचना तामील की गई है, उपखण्ड अधिकारी द्वारा उस उपधारा के अधीन आदिष्ट उपाय सूचना में कथित कालावधि के भीतर नहीं करता है तो अधिकारी ऐसे उपाय या तो स्वयं कर सकेगा या करवा सकेगा; और ऐसा करने में उपगत कोई भी खर्च ऐसे व्यक्ति से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो कि वह भू-राजस्व की बकाया हो.

(६-क) यदि कोई भूमि धारा १६५ की उपधारा (६-डड) के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है, तो उपखण्ड अधिकारी उपधारा (५) तथा (६) में अधिकथित कार्रवाई करने के अतिरिक्त ऐसे उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी, तथा ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे; एक सौ रुपये से अधिक की नहीं होगी, अधिरोपित करेगा.

(७) लुप्त.

**स्पष्टीकरण-एक.**—इस धारा में व्यपवर्तन से अभिप्रेत है भूमि को, जिस पर धारा ५९ के अधीन किसी एक प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, उस धारा में वर्णित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में लाना किन्तु भूमि को, जबकि उस पर किसी अन्य प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाना व्यपवर्तन नहीं समझा जाएगा.

**स्पष्टीकरण-दो.**—इस धारा के प्रयोजन के लिये शब्द 'विकास योजना' का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में उसके लिये दिया गया है.

* * * * * *

२४७. **खनिजों के संबंध में सरकार का हक.**—(४) यदि इसमें निर्दिष्ट किये गये अधिकार का, किसी भूमि पर प्रयोग करने में, ऐसी भूमि की सतह को दखल में लेने के कारण या उस पर होने वाली हलचल के कारण, किन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों का अतिलंघन होता हो, राज्य सरकार या उसका समनुदेशिती ऐसे अतिलंघन के लिये ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करेगा और ऐसे प्रतिकर की रकम की संगणना उपखंड अधिकारी द्वारा, यदि उसका अधिनिर्णय स्वीकार न किया जाय, तो सिविल न्यायालय द्वारा यथाशक्य, भू-अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का संख्यांक १) के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी.

**भगवानदेव ईसरानी**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.